पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 133/2020

1. कृष्ण कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी गुन्दडियाबडा त0 भादरा।

:— **वादी**

ब ना म

1. ओमप्रकाश पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी गुन्दडियाबडा त0 भादरा।
2. निहालसिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी गुन्दडियाबडा त0 भादरा।
3. जयसिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी गुन्दडियाबडा त0 भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुरेन्द्र बेनिवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री विनोद शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गुन्दडियाबडा के खाता सं 16/16 के खसरा सं0 251/1 की 8.675है0, खसरा सं0 288/1 की 1.214है0, खसरा सं0 294/1 की 1.244है0, खसरा सं0 310 की 8.764है0, खसरा सं0 313 की 3.010है0, खसरा सं0 335/1 की 3.061है0 कुल 25.968है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम से खातेदारी दर्ज है। में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 कृष्ण कुमार व प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश प्रतिवादी सं0 2 निहालसिंह व प्रतिवादी सं0 3 जयसिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25-1-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:08:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 133/2020

1. कृष्ण कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी मुन्दडियाबडा ता0 भादरा।

:— वादी

ब ना म

1. ओमप्रकाश पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी मुन्दडियाबडा ता0 भादरा।
2. निहालसिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी मुन्दडियाबडा ता0 भादरा।
3. जयसिंह पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी मुन्दडियाबडा ता0 भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री सुरेन्द्र बेनिवाल : वादी
वकील श्री विनोद शर्मा : प्रतिवादीगण

दिनांक : 25-1-2021

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मुन्दडियाबडा के खाता सं 16/16 के खसरा सं0 251/1 की 8.675है0, खसरा सं0 288/1 की 1.214है0, खसरा सं0 294/1 की 1.244है0, खसरा सं0 310 की 8.764है0, खसरा सं0 313 की 3.010है0, खसरा सं0 335/1 की 3.0610है0 कुल 25.968है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम से खातेदारी दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता मघाराम की खातेदारी हुआ करती थी। मघाराम के देहान्त होने पर उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा ... प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता न... पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु ... जाति जाट निवासी गढडा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि ... बंदी ग्राम मुन्दडिया बडा संवत 2071 प्रदर्श 1, जमाबंदी भू प्रबंध विभाग प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत मुन्दडिया बडा प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:08:05 IST
Reason: Self Attested

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम मुन्दडिया बडा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 3 में वारिसप्रमाण पत्र में ओमप्रकाश के तीन पुत्र कृष्ण कुमार, निहालसिंह व जयसिंह के अलावा अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। वाद भूमि रोही मौजा मुन्दडियावडा के खाता सं 16/16 के खसरा सं0 251/1 की 8.675है0, खसरा सं0 288/1 की 1.214है0, खसरा सं0 294/1 की 1.244है0, खसरा सं0 310 की 8.764है0, खसरा सं0 313 की 3.010है0, खसरा सं0 335/1 की 3.0610है0 कुल 25.968है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम से खातेदारी दर्ज है। में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

कियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मुन्दडियावडा के खाता सं 16/16 के खसरा सं0 251/1 की 8.675है0, खसरा सं0 288/1 की 1.214है0, खसरा सं0 294/1 की 1.244है0, खसरा सं0 310 की 8.764है0, खसरा सं0 313 की 3.010है0, खसरा सं0 335/1 की 3.0610है0 कुल 25.968है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश के नाम से खातेदारी दर्ज है। में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किया जाता है। व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 कृष्ण कुमार व प्रतिवादी सं0 1 ओमप्रकाश प्रतिवादी सं0 2 निहालसिंह व प्रतिवादी सं0 3 जयसिंह को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25-1-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:08:05
Reason: SelfAttested

(शकुन्तलानारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner